



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1646 वर्ष 2026

श्रीमती रजनी तालाक्षुदा राजू यादव @सुरेन्द्र यादव

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : मनजीत कुमार, यादव राहुल रामकृष्णन प्रतिवादी के
अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. शुरुआत में ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में यह बयान दिया है कि वे इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
2. उपरोक्त कथन के मद्देनजर, यह रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

4 फरवरी, 2026

केयू

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"